Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding implementation of Maintenance and Welfare of Senior Citizens Act, 2007.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश प्राचीन, समृद्ध पारिवारिक व सामाजिक संस्कृति वाला देश है। यहां एक-दूसरे का सम्मान व अधिकारों का संरक्षण करने की परंपरा रही है। विशेाकर उम्र दराज लोगों के सम्मान व उनके साथ व्यवहार की भारत में शानदार परंपरा रही है। अब विकासशील देशों में विशेाकर आर्थिक उपलब्धियों और आगे बढ़ने की प्रतियोगिता के कारण उम्र दराज लोगों से बुरे बर्ताव की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2015 में बजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव को लेकर एक अध्ययन किया गया जिसमें 96 देशों की जारी सूची में भारत 71वें स्थान पर है। बजुर्गों को ज्यादातर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही मिली, ऐसा इस अध्ययन में कहा गया है। इसमें पुरुाों की तुलना में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। संयुक्त राट्र संघ जनसंख्या कोा की केयरिंग अलर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार पुरुाों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण ज्यादा आर्थिक व सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। माता-पिता और वरिठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 भारत में पारित किया गया था। परंतु इसका विशेा लाभ पीड़ित लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं मिल पा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि बजुर्गों के सम्मानित, सुरक्षित व स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक व्यावहारिक कानून भारत सरकार लाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुपेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।